

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ.1(अ)(4)स्था/डीटीए/ 1117

दिनांक: 11/12/25

**आदेश**

वित्त (व्यय) विभाग की अशा.टीप क्रमांक एफ.डी/ई-2/कार्मिक/(5)/2024-26 दिनांक 16.10.2025 एवं दिनांक 14.11.2025 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में CMSDC के स्वीकृत 10 पदों को सम्मिलित करते हुए साईबर कोषालय, ई-कोषालय, कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में मंत्रालयिक संवर्ग का कैंडर रिव्यू किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. क्रमांक 602500289 दिनांक 08.12.2025 की सहमति के फलस्वरूप निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग की कैंडर स्ट्रेन्थ का दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण किया जाता है:-

क्र. सं.	पदनाम (बजट मद) 2054-00-095-(01)- (00) (राज्य निधि)	पे- लेवल	दिनांक 01.04.25 की स्थिति में साईबर कोषालय, ई-कोषालय, CMSDC, कोष एवं लेखा में स्वीकृत पदों की स्थिति	वित्त विभाग द्वारा दिनांक 16.10.25 एवं दिनांक 14.11. 2025 के मानदण्ड अनुसार संशोधित कैंडर स्ट्रेन्थ प्रतिशत(%)	पदों में वृद्धि /कमी	वित्त विभाग की अशा.टीप क्रमांक 16.10.25 एवं दिनांक 14.11.2025 के मानदण्ड अनुसार साईबर कोषालय, ई-कोषालय, CMSDC, कोष एवं लेखा (मुख्यालय)की संशोधित कैंडर स्ट्रेन्थ
1	2	3	4	5	7	6
1.	संस्थापन अधिकारी	L-16	01	1.6	(+) 1	02
2.	प्रशासनिक अधिकारी	L-12	03	4.5	(+) 2	05
3.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	L-11	08	10.0	(+) 3	11
4.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10	15	17.0	(+) 3	18
5.	वरिष्ठ सहायक	L-08	26	23.0	(-) 2	24
6.	कनिष्ठ सहायक	L-05	52	43.9	(-) 7	45
	योग		105	100%		105

मंत्रालयिक संवर्ग में उपर्युक्तानुसार संशोधित नॉर्म्स के अनुसार पुनर्गठन दिनांक 14.10.2025 से प्रभावी किया जाकर पदों में कमी/वृद्धि की जाती है।

(संध्या शर्मा) 10/12/2025  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव  
दिनांक : 11/12/25

क्रमांक एफ.1(अ)(4)स्था./डीटीए/1118-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आई.एफ.एम.एस. सह अतिरिक्त निदेशक कोष एवं बजट को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उपरोक्तानुसार निदेशालय कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में मंत्रालयिक सेवा संवर्ग की संशोधित कैंडर स्ट्रेन्थ को IFMS में Online Update & Mapping करावें।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. लेखा/रोकड़ शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)